



प्रेस नोट - दिनांक 21.07.2026

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.07.2025 को वादी श्री राजेश पुत्र स्व० दयाशंकर निवासी मो० बेगमगंज कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव की तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 273/25 धारा 419/420/406/467/468/471 भादवि बाबत अभियुक्तगण द्वारा सचिवालय में RO के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर वादी के पुत्र प्रदयुम व प्रदयुम के मित्र अनिरुद्ध कुमार से अभियुक्त द्वारा अपने आप को सचिवालय में विशेष पद पर बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर 30-30 लाख रुपये लेना एवं वापस मांगने पर न लौटाने के सम्बन्ध में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था । आज दिनांक 21.07.2026 को थाना पुरवा पुलिस द्वारा अभियुक्त दुर्गेश सविता पुत्र रामप्रकाश सविता निवासी ग्राम बंन्थर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष को आजाद बाईपास मार्ग से गिरफ्तार कर मा०न्या० के समक्ष पेश किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता-

दुर्गेश सविता पुत्र रामप्रकाश सविता निवासी ग्राम बंन्थर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति० नि० श्री रामप्रकाश
2. का० संदीप सचान
3. रि० का० अनुराग प्रताप सिंह





प्रेस नोट - दिनांक 21.07.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.07.2026 को वादी मुकदमा श्री अमन जीत सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी 123 पंजाबी कालोनी छोटा चौराहा उन्नाव की तहरीर सूचना पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल UP 35 AZ 9000 को चोरी कर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 434/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 21.07.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान करोवन क्रासिंग के पास रोड से एक नफर अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र विनोद कुमार नि0 सुल्तानखेडा अकरमपुर थाना कोतवाली जिला उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को एक अदद चोरी की मोटर साइकिल UP 35 AZ 9000 के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता-

राजवीर सिंह पुत्र विनोद कुमार नि0 सुल्तानखेडा अकरमपुर थाना कोतवाली जिला उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 919/2025 धारा 13 जी एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव
2. मु०अ०सं० 434/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली उन्नाव

बरामदगी-

1. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल नं० UP 35 AZ 9000

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. उ०नि० अनिल कुमार साहू
3. हे०का० विजय शर्मा
4. का० हेमन्त
5. का० शेर सिंह
6. रि०आ० धीरेन्द्र प्रताप
7. रि०आ० राजन मिश्रा
8. रि०आ० अनीश सिंह





प्रेस नोट - दिनांक 21.07.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

चोरी के 04 ई-रिक्शा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी के 04 ई-रिक्शा के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.07.2026 को नवीन मंडी हुसैन नगर से ई रिक्शा UP 35 BT 7826 चोरी के सम्बन्ध में वादी विपिन कुमार पुत्र मोहबत निवासी ग्राम व पो0 तौरा थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 449/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 20.07.2026 को पुनः नवीन मंडी में ई रिक्शा चोरी के सम्बन्ध में वादी मुकदमा अमन रावत पुत्र स्व0 राम दयाल निवासी ग्राम निहालखेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा मु0अ0सं0 450/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 21.07.2026 को प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र मय हमराह पुलिस द्वारा घटनाओं का त्वरित अनावरण करते हुये दोनों अभियोगों से सम्बन्धित ई रिक्शा UP 35 BT 7826, 2.UP78LN3920 को तथा 02 अन्य ई-रिक्सा सुजुकी एजेन्सी के पीछे से बरामद करते हुये अभियुक्तगण 1.निखिल साहू पुत्र राजकिशोर साहू उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम बदरका थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 2. सूलल पुत्र रमेश शर्मा नि0 ग्राम बदरका थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. निखिल साहू पुत्र राजकिशोर साहू उम्र 19 वर्ष नि० ग्राम वदरका थाना अचलगंज जनपद उन्नाव,
2. सूजल पुत्र रमेश शर्मा नि० ग्राम वदरका थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

बरामदगी-

1. एक अदद ई रिक्शा नं० UP35 AT 5205
2. एक अदद ई रिक्सा कम्पनी सिटीलाईफ UP 35 BT 0244
3. एक अदद ई रिक्सा सफेद कलर का फतेह कम्पनी का न० प्लेट UP78LN 3920
4. एक अदद ई रिक्शा नं० UP 35 BT 7826

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 292/2025 धारा 303(2)/317(2)/336(4) बीएनएस थाना अचलगंज उन्नाव
2. मु०अ०सं० 449/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली उन्नाव
3. मु०अ०सं० 450/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना कोतवाली उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
2. उ०नि० राकेश कुमार सिंह
3. हे०का० अजीत कुमार कनौजिया
4. का० शिवजीत
5. का० महेश सिंह,
6. का० विकाश गंगवार





प्रेस नोट - दिनांक 21.07.2026

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 21.07.2026 को उ०नि० उ०नि० अनिल कुमार राजपूत मय हमराह पुलिस बल द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1.महेश पुत्र नत्थू उम्र करीब 50 वर्ष 2.बादशाह पुत्र विशनू उम्र करीब 38 वर्ष निवासीगण ग्राम पनपथा मजरा मरौंदा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव सम्बन्धित वाद सं० 7773/22 NCR 64/20 धारा 323/504/506 भा०द०वि० को ग्राम पनपथा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.महेश पुत्र नत्थू उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम पनपथा मजरा मरौंदा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
- 2.बादशाह पुत्र विशनू उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम पनपथा मजरा मरौंदा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० अनिल कुमार राजपूत
रि०का० रोहित अहिरवार
रि०का० राघवेन्द्र कुमार



